



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1456 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1456

**विषय/Sub: पाइलॉन इंटरफेस बॉक्स-(आउटबोर्ड), पार्ट सं. 1160 011 260 09/
Pylon Interface Box (Outboard), Part No.: 1160 011 260 09**

यह घोषित किया जाता है कि एरोनाटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलूरु- 560 017, द्वारा अभिकल्पित, तथा मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी एंड ई-ईडब्ल्यू एंड ए, जालहल्ली पोस्ट, बेंगलूरु- 560 013 द्वारा विकसित तथा उत्पादित " पाइलॉन इंटरफेस बॉक्स-(आउटबोर्ड)" पार्ट सं. 1160 011 260 09, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1456, दिनांक 24 सितंबर 2009, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1456 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1456/1ए दिनांक 17 जून 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था जो कि 30 जून 2014 तक वैध था।

This is to state that the "Pylon Interface Box (Outboard)", bearing the Part No.:1160 011 260 09, designed by Aeronautical Development Agency (ADA), Bengaluru – 560 017, developed and manufactured by M/s. Bharat Electronics Limited, D&E-EW&A, Jalahalli Post, Bengaluru - 560 013 was issued with Type Approval No. 1456 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1456, Dated: 24th September 2009 and was subsequently issued Addendum vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1456/1A, Dated: 17th June 2013 and was valid upto 30th June 2014.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अप्रैल 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने (3) पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), द्वारा एचएएल हैदराबाद प्रभाग, बालानगर – 500 042, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st April 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid upto 30th June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), C/o HAL, Hyderabad Division, Balanagar – 500 042 Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1456/1A/1R

दिनांक/Date : **29 April 2016**

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Rajni
29/4/16

पी जयपाल / **P.JAYAPAL**
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)